


# बिहार राज्य नि:शक्तता विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमावली के निमित्त आवेदन-पत्र



1. आवेदक का नाम :-
2. पिता या पति का नाम :-
3. पता :- ग्राम/मुहल्ला पंचायत  
डाकघर नगर प्रखंड  
थाना अनुमंडल जिला

4. आयु (आवेदन पत्र देने के दिन)-

(आयु का यदि प्रमाण उपलब्ध हो तो उसकी मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय। अगर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो पारिवारिक सूची या निर्वाचक सूची में अभिलिखित उम्र भी स्वीकार्य होगी। इस संबंध में, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद मान्यता प्राप्त आयु अन्तिम होगी)।

5. वार्षिक आय :-

6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि-

(क) मुझे एक एकड़ या उससे कम असिंचित भूमि है तथा सभी श्रोतों से कुल वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्रों में 30,000/- से कम है।

(ख) मैं नि:शक्त श्रमिक हूँ।

(ग) मैं मूलतः बिहार का वासी हूँ। विगत 10 वर्षों से बिहार राज्य में रह रहा/रही हूँ।

(घ) मेरे पास निम्नलिखित चल/अचल सम्पत्ति है जिसका व्योरा इस प्रकार है :-

(1) चल सम्पत्ति-

(2) अचल सम्पत्ति

(ङ) मैंने इसके पूर्व नि:शक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है।

(च) यदि इसके पूर्व आवेदन-पत्र दिया गया हो तो उस पर निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :-  
स्वीकृत/अस्वीकृत/कोई सूचना नहीं।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है। यदि कोई विवरण झूठा पाया जाय तो विकलांग सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में भुगतान की गयी राशि राजस्व के बकाये की तरह भुझसे वसूल कर ली जाय। (जो लागू न हो उसे काट दें)।

आवेदक का हस्ताक्षर या

अंगूठे का निशान

आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

7. आवेदन की तिथि :-

टिप्पणी :- आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद आवेदक द्वारा अपने सामान्य निवास के पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय या प्रखंड (पंचायत समिति) कार्यालय में जमा किया जायेगा और प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने यहाँ प्राप्त आवेदन पत्रों को पंचायतों को भेज देंगे।

राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यालय

**पंचायत कार्यालय का प्रमाण-पत्र**

1. आवेदक/आवेदिका.....  
 से प्राप्त आवेदन पत्र में दर्ज की गयी प्रवृष्टियों की स्थानीय सत्यापन कर ली गयी है एवं आवेदक को पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

2. निम्नलिखित कारणों से आवेदक/आवेदिका के पेंशन-आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

मुखिया/ग्राम पंचायत का हस्ताक्षर  
 पंचायत सेवक/पंचायत प्रभारी का हस्ताक्षर  
 पदनाम

**पंचायत समिति (प्रखंड कार्यालय) का सत्यापन प्रतिवेदन**

1. मैंने आवेदक/आवेदिका द्वारा आवेदन की प्रवृष्टियों का सत्यापन कर ली है/कराई है एवं सही पाया है।
2. सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पेंशनधारियों की संख्या के विरुद्ध रिक्ति है।
3. पंचायत समिति ने आवेदक/आवेदिका को पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने की अनुशंसा की है।
4. आवेदक को पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।
5. निम्नलिखित कारणों से आवेदक/आवेदिका की पेंशन अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रशासक/उप-प्रशासक के कार्यालय  
 प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर